[2021] 1 उम. नि. प. 451

चुंथुराम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 1392]

29 अक्तूबर, 2020

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – दोषसिद्धि – अपील – जहां साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया हो कि अभियुक्त के कथन के आधार पर बरामद अपराध करने में प्रयुक्त किए गए आयुधों को अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध से संबद्ध न किया गया हो, घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का आचरण मानव स्वभाव के प्रतिकूल और उसकी कमजोर दृष्टि और श्रवण शक्ति के कारण अविश्वसनीय पाया गया हो तथा अपराध करने के लिए कोई निकटतम या अव्यवहित हेतु दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री न हों और शनाख्त परीक्षण परेड में भी खामियां पाई गई हों, वहां अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि जब मृतक लक्ष्मण एक मार्किट से अपने गांव लौट रहा था, तब अपीलार्थी चुंथुराम और सह-अभियुक्त जगन राम ने कुल्हाड़ी और लाठी से उस पर हमला किया और लक्ष्मण की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । मृतक के पिता महतोराम (अभि. सा. 1) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जब उसका पुत्र रात्रि में टमटा मार्किट से घर वापस नहीं आया और गांव में पूछताछ की गई तो उसके पौत्र संतराम ने उसे सूचित किया कि चुंथुराम और जगन राम ने लक्ष्मण की हत्या कर दी है और उसका शव एक गड्डे में छिपा दिया है । इत्तिलाकर्ता उस स्थान पर गया और अपने पुत्र का क्षतिग्रस्त शव पाया । प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट में अभियुक्तों और आहत व्यक्ति के बीच एक भूमि विवाद होने के साथ-साथ इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया था कि मृतक लक्ष्मण पर दोनों सह-अभियुक्तों के भाई की हत्या करने का आरोप था और इसी विद्वेष के कारण अभियुक्तों ने लक्ष्मण की हत्या की थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप विरचित किए गए और मामला विचारण के लिए सुपुर्द किया गया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर दोषिता का निष्कर्ष निकाला और तद्नुसार दोनों अभियुक्तों को दंडादिष्ट किया । पारिणामिक दांडिक अपील में उच्च न्यायालय ने भगत राम (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया, जिसने यह स्वीकार किया था कि वह घटनास्थल पर दूसरे व्यक्ति को नहीं पहचान सका था और केवल चुंथुराम को ही पहचान सका था । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के इस परिसाक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्त जगन राम को दोषमुक्त कर दिया गया । तथापि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भगत राम (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य के प्रतिनिर्देश करते हुए चुंथुराम की दोषसिद्धि को कायम रखा क्योंकि अन्य साक्ष्य द्वारा इसकी संपुष्टि की गई थी । अभियुक्त-अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त के कथन के आधार पर बरामद अभिकथित आक्रामक आयुध अभियोजन पक्ष के पक्षकथन का समर्थन करने के लिए एक मुख्य साक्ष्य हो सकता था किंतु, दुर्भाग्यवश, बरामद की गई वस्तुओं को कभी भी अपराध से संबद्ध नहीं किया गया था । पुलिस ने इन्हें परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भेजा था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टर (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया था कि शव पर पाईं गई क्षतियां इन अपराधों द्वारा कारित की जा सकती थीं । तथापि, डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि प्रदर्शों पर रक्त के धब्बे या अन्य चिह्न नहीं देखे जा सके थे । यह बताया गया है कि आयुधों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और यद्यपि विचारण न्यायालय ने प्रदर्शों पर रक्त मौजूद होने का निष्कर्ष निकालने के लिए रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया था किंतु तात्पर्यित रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट मामले

के अभिलेख पर उपलबध नहीं पाई गई है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी किसी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है । इसमें यह सुझाव मिलता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले में रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी । शनाख्त परीक्षण परेड के आयोजन में पाई गई कमियों की भी संवीक्षा करनी होगी । यहां इस कवायद में महत्वपूर्ण खामी इस कवायद के दौरान पुलिस का मौजूद होना थी । जब शनाख्तें पुलिस की मौजूदगी में की जाती हैं, तो पारिणामिक संसूचनाएं शनाख्तकर्ता द्वारा अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पुलिस अधिकारी को किए गए कथनों की कोटि में आती हैं और वे संहिता की धारा 162 के वर्जन के अंतर्गत आते हैं । पुलिस द्वारा तैयार की गई घटनास्थल के निरीक्षण की रिपोर्ट और लुंगी की बरामदगी के विषय में भी अभि. सा. 3 के कथन में विसंगतियां पाई गई हैं । अभि. सा. 3 का यह कथन था कि लुंगी शव से 10-12 कदम पर पाई गई थी । तथापि, घटनास्थल रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि लुंगी शव से 150 फुट की दूरी पर और एक प्लास्टिक के थैले में पाई गई थी । किसी भी दशा में, तात्विक प्रदर्श का कोई संबंध नहीं हो सकता है चूंकि फिलिम साईं (अभि. सा. 3) ने यह स्वीकार किया था कि इसी प्रकार की लुंगी गांव में बहुत सारे किसानों द्वारा पहनी जाती है । इस प्रकथन के सिवाय कि अपीलार्थी को कई अवसरों पर लुंगी पहने हुए देखा गया था, प्रदर्श को अभियुक्त चुंथुराम से संबद्ध करने के लिए कोई सुभिन्न कारक प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिए इस न्यायालय के मत में, अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए इस प्रदर्श के साथ अपीलार्थी को संबद्ध करना असुरक्षित होगा । इसके पश्चात्, अभि. सा. 4 के अस्वाभाविक आचरण की कुछ संवीक्षा करनी आवश्यक होगी । साक्षी भगत राम की मृतक से जान-पहचान थी और उसे चुंथुराम तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा लक्ष्मण पर हमला करते हुए देखे जाने का दावा किया था । किंतु विचित्र बात है कि उसने मामले में न तो पुलिस को इत्तिला देने और न ही परिवार के किसी सदस्य को सूचित करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाया था । इस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का ऐसा आचरण मानव स्वभाव के विपरीत है । हेतु के पहलू पर, जो भूमि

विवाद था उसका अंतिम रूप से विनिश्चय हो गया था और महतोराम, अभि. सा. 1 (मृतक के पिता) द्वारा यह कथन किया गया था कि सिलधर की हत्या तब हुई थी जब उक्त भूमि विवाद अभी लंबित था । यदि ऐसी स्थिति है, तो अपराध के लिए कोई समीपवर्ती और अव्यवहित हेतु दर्शित करने के लिए किसी और सामग्री के बिना उद्धृत हेतु को दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए स्वीकार करना कठिन होगा । यह न्यायालय दांडिक विधि में उस सुस्थिर सिद्धांत को भी दोहरा सकता है जो यह उद्घोषित करता है कि यदि किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हों, जिसमें एक मत अभियुक्त की दोषिता को और दूसरा उसकी निर्दोषित को इंगित करता हो, तो जो मत अभियुक्त के समर्थन में हो उसे अपनाया जाना चाहिए । (पैरा 8.1, 10, 12, 13, 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	2020 एस. एस. सी. ऑनलाइन एस. सी. 826 : **अमर सिंह** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)** ;	14
[2010]	(2010) 2 एस. सी. सी. 748 : **मुशीर खान** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	9
[1955]	[1955] 1 एस. सी. आर. 903 : **रामकिशन मिठनलाल शर्मा** बनाम **बम्बई राज्य** ।	10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1392.

2002 की दांडिक अपील सं. 513 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तारीख 15 फरवरी, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री सोनल मशंकर और सुश्री शिवांगी सूद
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री निशांत पाटिल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने दिया ।

न्या. राय – वर्तमान अपील में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तारीख 15 फरवरी, 2008 के उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा 2001 के सेशन मामला सं. 149 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, जशनुरनगर (जिसे इसमें इसके पश्चात् विचारण न्यायालय कहा गया है) द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के निबंधनों के अनुसार अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए 2002 की दांडिक अपील सं. 513 का निपटारा किया गया था । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त जगन राम को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया था और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 500/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष का कारावास भुगतने तथा प्रत्येक पर 500/- रुपए जुर्माने का आदेश दिया गया था । तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त जगन राम को दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 14 जून, 2001 को 7.00 बजे अपराह्न में जब मृतक लक्ष्मण टमटा मार्किट से पंडरीपाणी गांव लौट रहा था, तब अपीलार्थी चुंथुराम और सह-अभियुक्त जगन राम ने कुल्हाड़ी और लाठी से उस पर हमला किया और लक्ष्मण की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । मृतक के पिता, महतोराम (अभि. सा. 1) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जब उसका पुत्र रात्रि में टमटा मार्किट से घर वापस नहीं आया और गांव में पूछताछ की गई तो उसके पौत्र संतराम ने उसे सूचित किया कि चुंथुराम और जगन राम ने लक्ष्मण की हत्या कर दी है और उसका शव एक गड्डे में छिपा दिया है । इत्तिलाकर्ता उस स्थान पर गया और अपने पुत्र का क्षतिग्रस्त शव पाया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों और आहत व्यक्ति के बीच एक भूमि विवाद होने के साथ-साथ इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया था कि मृतक लक्ष्मण पर दोनों सह-अभियुक्तों के भाई सिलधर की हत्या करने का आरोप था और इसी विद्वेष के कारण अभियुक्तों ने लक्ष्मण की हत्या की थी ।

3. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप विरचित किए गए और मामला विचारण के लिए सुपुर्द किया गया । अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए सात साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथनों में निर्दोष होने का अभिवाक् किया और मिथ्या रूप से फंसाने का अभिकथन किया ।

4. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर दोषिता का निष्कर्ष निकाला और तद्नुसार दोनों अभियुक्तों को दंडादिष्ट किया ।

5. पारिणामिक दांडिक अपील में उच्च न्यायालय ने भगत राम (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया, जिसने यह स्वीकार किया था कि वह घटनास्थल पर दूसरे व्यक्ति को नहीं पहचान सका था और केवल चुंथुराम को ही पहचान सका था । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के इस परिसाक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्त जगन राम को दोषमुक्त कर दिया गया । तथापि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भगत राम (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य के प्रतिनिर्देश करते हुए चुंथुराम की दोषसिद्धि को कायम रखा क्योंकि अन्य साक्ष्य द्वारा इसकी संपुष्टि की गई थी ।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र श्री यशराज सिंह देवड़ा को सुना । विद्वान् काउंसेल ने बड़ी मेहनत से अभिलेख पर साक्ष्य को प्रथमत: यह बताने के लिए हमारे समक्ष विस्तारपूर्वक यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त के मकान से की गई आक्रामक आयुध की बरामदगी को कभी भी अपराध से संबद्ध नहीं किया गया था और इसलिए बरामद वस्तु अभियोजन पक्ष के लिए किसी उपयोग की नहीं हो सकती थीं । इसके पश्चात् श्री देवड़ा द्वारा फिलिम साईं (अभि. सा. 3), जिसके परिसाक्ष्य को घटनास्थल पर चुंथुराम की मौजूदगी को सिद्ध करने का आधार बनाया गया है, द्वारा लुंगी की तथाकथित की गई शनाख्त को प्रश्नगत किया गया ।

विद्वान् अधिवक्ता द्वारा एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भगत राम (अभि. सा. 4) की विश्वसनीयता को उसकी कमजोर दृष्टि (दो फुट की

दूरी से परे कोई चीज देखने में असमर्थता) के साथ-साथ उसको कम सुनाई देने के आधार पर इस तथ्य को उजागर करने के लिए चुनौती दी गई कि घटना बादलों से घिरी सायंकाल में घटी थी । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, पुराना भूमि विवाद हत्या के लिए प्रत्यक्ष हेतु प्रदान नहीं करता है चूंकि उक्त विवाद का घटना से दो वर्ष से अधिक पूर्व अंतिम रूप से निराकरण हो गया था और सिलधर की हत्या का मामला उक्त विवाद से अभिकथित रूप से संबद्ध था । दोनों अभियुक्तों के शरीर पर पाई गई साधारण क्षतियों को स्पष्ट करते हुए श्री देवड़ा ने डाक्टर पी. सुथरु (अभि. सा. 7) के साक्ष्य को पढ़ा, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि चुंथुराम को साधारण क्षतियां कांटेदार झाड़ियों के कारण भी पहुंच सकती थीं ।

7. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री निशांत पाटिल ने, अपनी बारी में, यह दलील देने के लिए कि अपीलार्थी के पास अपराध करने के लिए हेतु था, भूमि विवाद और इस तथ्य का उल्लेख किया कि मृतक लक्ष्मण का अभियुक्त के भाई सिलधर की हत्या के लिए विचारण किया गया था । इसके पश्चात्, राज्य की ओर से काउंसेल ने आक्रामक आयुध और उन वस्तुओं को निर्दिष्ट किया जो अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान से बरामद की गई थीं । श्री पाटिल के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी भगत राम (अभि. सा. 4) ने मृतक की चीख-पुकार सुनी थी और चुंथुराम और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर हमला करते हुए देखा था, जिससे अभियुक्त की मौजूदगी की बात सिद्ध होती है और इस साक्ष्य को अवश्य सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए । अत: राज्य ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि को संधार्य रखने के लिए हेतु, हत्या में प्रयुक्त आयुधों और पहने हुए वस्त्रों की बरामदगी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य और अन्य संबंधित साक्ष्य को प्रदर्शित करके अपने भार का निर्वहन किया था ।

चर्चा और निष्कर्ष

8.1 अभियुक्त के कथन के आधार पर बरामद अभिकथित आक्रामक आयुध अभियोजन पक्ष के पक्षकथन का समर्थन करने के लिए

एक मुख्य साक्ष्य हो सकता था किंतु, दुर्भाग्यवश, बरामद की गई वस्तुओं को कभी भी अपराध से संबद्ध नहीं किया गया था । पुलिस ने इन्हें परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भेजा था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टर (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया था कि शव पर पाई गई क्षतियां इन आयुधों द्वारा कारित की जा सकती थीं । तथापि, डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि प्रदर्शों पर रक्त के धब्बे या अन्य चिह्न नहीं देखे जा सके थे । यह बताया गया है कि आयुधों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और यद्यपि विचारण न्यायालय ने प्रदर्शों पर रक्त मौजूद होने का निष्कर्ष निकालने के लिए रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया था किंतु तात्पर्यित रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट मामले के अभिलेख पर उपलबध नहीं पाई गई है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी किसी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है । इससे यह सुझाव मिलता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले में रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी ।

8.2 अभिगृहीत की गई कमीज (जो अनुमित रूप से अभियुक्त जगन राम द्वारा पहनी हुई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था) के सुसंगत न्यायालयिक साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा विधारित कर लिया गया था । जब ऐसे महत्वपूर्ण न्यायालयिक साक्ष्य को दूर रखा गया है, तो अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पड़ेगा ।

9. घटनास्थल पर चुंथुराम की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए न्यायालयों ने शनाख्त परीक्षण परेड और फिलिम साईं (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है । शनाख्त परीक्षण का साक्ष्य सारभूत साक्ष्य नहीं होता है किंतु इसका प्रयोग न्यायालय में किए गए कथनों की संपुष्टि के लिए किया जा सकता है । **मुशीर खान** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में के विनिश्चयाधार का इस मुद्दे से सरोकार है, जहां न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली ने खंड न्यायपीठ की ओर से निर्णय लिखते

[1] (2010) 2 एस. सी. सी. 748.

हुए स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में विधिक स्थिति का निम्नलिखित सारांश दिया था :–

> "24. यह उल्लेख किया जा सकता है कि शनाख्त परीक्षण सारभूत साक्ष्य नहीं होता है । ऐसे परीक्षणों का अभिप्राय अन्वेषक अभिकरण की यह सहायता करने के प्रयोजन के लिए होता है कि अपराध के अन्वेषण में उनकी प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है ।"

10. शनाख्त परीक्षण परेड के आयोजन में पाई गई कमियों की भी संवीक्षा करनी होगी । यहां इस कवायद में महत्वपूर्ण खामी इस कवायद के दौरान पुलिस का मौजूद होना थी । जब शनाख्तें पुलिस की मौजूदगी में की जाती हैं, तो पारिणामिक संसूचनाएं शनाख्तकर्ता द्वारा अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पुलिस अधिकारी को किए गए कथनों की कोटि में आती हैं और वे संहिता की धारा 162 के वर्जन के अंतर्गत आते हैं । (**रामकिशन मिठनलाल शर्मा** बनाम **बम्बई राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

11. अगली महत्वपूर्ण खामी यह है कि शनाख्त परीक्षण परेड के पहचान पत्र में यह उल्लिखित है कि तीन लुंगियां प्रस्तुत की गई थीं, जबकि साक्षी फिलिम साईं (अभि. सा. 3) के अपने कथन के अनुसार संबंधित साक्षी को शनाख्त के लिए केवल एक लुंगी दिखाई गई थी । अत: ऐसी कमियों से शनाख्त परीक्षण परेड अभियोजन के पथकथन का समर्थन करने के लिए अस्वीकार्य हो जाती है ।

12. पुलिस द्वारा तैयार की गई घटनास्थल के निरीक्षण की रिपोर्ट और लुंगी की बरामदगी के विषय में भी अभि. सा. 3 के कथन में विसंगतियां पाई गई हैं । अभि. सा. 3 का यह कथन था कि लुंगी शव से 10-12 कदम पर पाई गई थी । तथापि, घटनास्थल रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि लुंगी शव से 150 फुट की दूरी पर और एक प्लास्टिक के थैले में पाई गई थी । किसी भी दशा में, तात्विक प्रदर्श का कोई संबंध नहीं हो सकता है चूंकि फिलिम साईं (अभि. सा. 3) ने यह

---

[1] [1955] 1 एस. सी. आर. 903.

स्वीकार किया था कि इसी प्रकार की लुंगी गांव में बहुत सारे किसानों द्वारा पहनी जाती है । इस प्रकथन के सिवाय कि अपीलार्थी को कई अवसरों पर लुंगी पहने हुए देखा गया था, प्रदर्श को अभियुक्त चुंथुराम से संबद्ध करने के लिए कोई सुभिन्न कारक प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिए हमारे मत में, अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए इस प्रदर्श के साथ अपीलार्थी को संबद्ध करना असुरक्षित होगा ।

13. अब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भगत राम (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य की संवीक्षा करनी होगी । उच्च न्यायालय द्वारा उसके परिसाक्ष्य को सह-अभियुक्त जगन राम को दोषमुक्त करने के लिए त्यक्त कर दिया गया था । अपीलार्थी चुंथुराम के लिए एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि ताज खान (अभि. सा. 2) द्वारा किया जाना पाया गया था । अत: प्रश्न यह है कि क्या भगत राम (अभि. सा. 4) को घटना का एक विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में समझा जा सकता है । साक्षी भगत राम ने अपनी कमजोर दृष्टि शक्ति होने की बात स्वीकार की थी और उसकी प्रतिपरीक्षा के द्वारा यह उजागर किया गया था कि यह साक्षी एक या दो फुट से परे चीजों को देखने में असमर्थ है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया था कि जब वह टमटा मार्किट से चला था तब अंधेरा था और बादल छाए हुए थे क्योंकि उस दिन वर्षा हो रही थी । इसके अतिरिक्त, उसने जब मृतक पर हमला किया जा रहा था तो उसकी चीख-पुकार सुने जाने का दावा किया था । अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 4 दो सौ फुट की दूरी पर था जब उसने चीख-पुकार सुनी थी । तथापि, ताज खान (अभि. सा. 2) ने जो घटनास्थल से केवल लगभग 54 गज दूर था और यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह आहत की चीख-पुकार बेहतर सुन सकता था, कदापि कुछ नहीं सुना था । इससे भगत राम का परिसाक्ष्य, विशिष्ट रूप से इस साक्षी की कमजोर दृष्टिशक्ति और श्रवण शक्ति के कारण अविश्वसनीय हो जाता है ।

14. इसके पश्चात् अभि. सा. 4 के अस्वाभाविक आचरण की कुछ संवीक्षा करनी आवश्यक होगी । साक्षी भगत राम की मृतक से जान-

पहचान थी और उसे चुंथुराम तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा लक्ष्मण पर हमला करते हुए देखे जाने का दावा किया था । किंतु विचित्र बात है कि उसने मामले में न तो पुलिस को इत्तिला देने और न ही परिवार के किसी सदस्य को सूचित करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाया था । इस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का ऐसा आचरण मानव स्वभाव के विपरीत है । **अमर सिंह** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)**[1] वाले मामले में हम में से एक न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की अविश्वसनीयता पर निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणी की थी :–

> "32. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अभि. सा. 1 के मौखिक परिसाक्ष्य पर आधारित है जिसे मृतक की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य का अवलंब लिया है और सामान्यतया यह न्यायालय एक जैसे मत को अस्त-व्यस्त करने में अनिच्छुक हो सकता है किंतु चूंकि अभियोजन के वृत्तांत में अंतर्निहित अनधिसंभाव्यताएं हैं और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का आचरण मानव स्वभाव के सामान्य अनुक्रम के असंगत है, इसलिए हम नहीं समझते कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के असंपुष्टिकारी परिसाक्ष्य पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करना सुरक्षित होगा । सेल्वराज **बनाम** तमिलनाडु राज्य (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1970) वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था जिसमें साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर अभियोजन पक्ष का वृत्तांत अत्यधिक अनधिसंभाव्य और मानव स्वभाव के सामान्य अनुक्रम के विसंगत पाया गया था, इसलिए दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित दोषिता के एक जैसे निष्कर्षों को अपास्त कर दिया गया था ।"

इस मामले में साक्षी आहत को जानता था, उसने आहत पर हुए घातक हमले को अभिकथित रूप से देखा था और फिर भी घटना के बारे में

---

[1] 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. सी. 826.

चुप्पी साध ली थी । यदि अभि. सा. 4 ने वास्तव में हमले को देखा होता, तो उसकी प्रतिक्रिया और आचरण ऐसे व्यक्ति की सामान्य प्रतिक्रिया जैसा नहीं होता जो मृतक को और उसके परिवाद को जानता हो । इसलिए उसका परिसाक्ष्य त्यक्त किए जाने योग्य है ।

15. हेतु के पहलू पर, जो भूमि विवाद था उसका अंतिम रूप से विनिश्चय हो गया था और महतोराम, अभि. सा. 1 (मृतक के पिता) द्वारा यह कथन किया गया था कि सिलधर की हत्या तब हुई थी जब उक्त भूमि विवाद अभी लंबित था । यदि ऐसी स्थिति है, तो अपराध के लिए कोई समीपवर्ती और अव्यवहित हेतु दर्शित करने के लिए किसी और सामग्री के बिना उद्धृत हेतु को दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए स्वीकार करना कठिन होगा ।

16. हम दांडिक विधि में उस सुस्थिर सिद्धांत को भी दोहरा सकते हैं जो यह उद्घोषित करता है कि यदि किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हों, जिसमें एक मत अभियुक्त की दोषिता को और दूसरा उसकी निर्दोषित को इंगित करता हो, तो जो मत अभियुक्त के समर्थन में हो, उसे अपनाया जाना चाहिए ।

17. विधि की उपरोक्त समझ और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में की कमियों से संबंधित चर्चा से, हमारे अवधारण के अनुसार, अपीलार्थी ने हस्तक्षेप करने के लिए मामला सिद्ध किया है । अत: यह अपील मंजूर की जाती है और परिणामत: विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय का निर्णय भी अपास्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.